

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल भवन / भूदानों के निर्माण की स्वीकृति समाप्त सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विकास (व्यावसायिक, वाणिज्यिक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम की सुविधा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रमल खिड़की केवल आवासीय उपयोग

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

परी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 816 दिनांक 16/12/2020
प्राथमिकी श्रीमती मीना इन्द्रिणी श्री श्याम इन्द्रिणी
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 प.सं. 19/493 कोषात्मकी
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5762/- जमा
जरिये रसीद संख्या 2062/5247, 5248
दिनांक 16/12/2020 को जमा करा दी है ।

33 मिं बॉर्ड

904 17/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Handwritten signature and number: 202880171